कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 953 /11सी–हरदोई, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 28 , 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय : हरदोई में शाहजहाँपुर–हरदोई मार्ग (एस0एच0–25) कि0मी0 135–136 के मध्य बायीं पटरी पर स्थित ग्राम–सैदपुर, तहसील–शाहाबाद के खसरा सं0–200 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065348 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक–2419/14–10–4, दिनांक 24.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय से इंगित सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव का आपके स्तर से बिना परीक्षण किये ही इस कार्यालय को सन्दर्भित कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में इस कार्यालय के पत्रांक 449/11सी, दिनांक 02.09.2016 द्वारा विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, द्वारा **प्रमाण पत्र** भी देने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 06.09.2016 के बिन्दु 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24 एवं 25 की सूचनायें अपूर्ण हैं, जिसके अभाव में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।

अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन एवं आफलाईन सूचनाओं को पूर्ण कर बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

28/X/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 953 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, बी–2/373, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, हरदोई को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

28/X/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।